

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 09.02.2016 को संपन्न विभागीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

सभी पदाधिकारियों को प्रशाखावार आवंटित कार्यों पर समीक्षा करने और अग्रेत्तर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

2. सभी विभागीय कार्यक्रमों में बजट प्रावधान का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने हेतु सभी नोडल पदाधिकारी, अपने आवंटित जिले का विशेष अनुश्रवण करेंगे और योजना के कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं का स्वयं अभिरूचि लेकर निराकरण कराएंगे।
3. विभाग में पदाधिकारियों/कर्मियों को बैठने हेतु अतिरिक्त व्यवस्था के लिए प्रशाखा-1 के प्रभारी पदाधिकारी, मुख्य अभियंता से समन्वय करके, योजना तैयार कर व्यवस्था करेंगे। इसमें आने वाले व्यय का वहन बुड़ा से किया जाय।

प्रशाखावार/कोषांगवार मुद्रदे

► प्रशाखा-01 :-

1. DUDA में सेवानिवृत्त अभियंताओं की पदस्थापना एवं प्रशिक्षण।
2. सेवा नियमावलियों का गठन।
3. अधीनस्थ कार्यालय यथा बुड़ा, बिहार राज्य जल पर्षद एवं बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड के रिवितयों को भरने हेतु कदम उठाना।
4. विभाग के सहायकों एवं अन्य सभी कर्मियों के बीच कार्यों का स्पष्ट विभाजन करना।
5. विभाग के सभी कर्मियों की दूरभाष निर्देशिका एवं ई०मेल आई०डी० तैयार करना।
6. ई० ऑफिस लागू करना।
7. ग्रुप "क" एवं "ख" के पदों पर सेवानिवृत्त कर्मियों की धारा-36 के अंतर्गत पदस्थापना।

इनकी नियुक्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन लेने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाय।

► प्रशाखा-02 :-

1. मुख्यमंत्री नगर विकास योजना में PMU का गठन।
2. जिला पदाधिकारियों को मासिक समीक्षा टिप्पणी का प्रेषण।

3. मुख्यमंत्री नगर विकास योजना की पुस्तिका तैयार करना।
4. राज्य योजना के अंतर्गत प्रशासनिक स्वीकृति जारी करना एवं निधि की विमुक्ति सुनिश्चित करना।
5. राज्य योजना के अंतर्गत पूर्व से मंजूर योजनाओं में बची हुई अवशेष राशि की विमुक्ति करना।
6. राज्य योजना के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं की पुस्तिका तैयार करना।
7. राज्य योजना में नगर निकायों से भिन्न एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की मासिक समीक्षा विभाग के स्तर पर करने की व्यवस्था।
8. राज्य योजना एवं मुख्यमंत्री नगर विकास योजना की योजनावार समीक्षा के लिए MIS की व्यवस्था।
9. गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज की जयन्ती की तैयारी हेतु प्रभावी समन्वय स्थापित करना।

10. मुख्यमंत्री नगर स्वच्छता प्रोत्साहन अनुदान :-

स्वच्छता अनुदान में दी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने हेतु नगर निकायों को स्मार पत्र भेजा जाय एवं MIS दल द्वारा अनुश्रवण कराया जाय। पात्र निकायों को अगला किस्त दिया जाय।

11. भूमि क्रय नीति :-

भूमि क्रय नीति का Reporting Format तैयार करके, सभी नगर निकायों को भेजा गया है। इसका अनुश्रवण करें।

12. मुख्यमंत्री शहरी जलापूर्ति प्रोत्साहन योजना गठित करना।

13. सभी घरों में पाईप जलापूर्ति की व्यवस्था :-

- राज्य के सभी घरों में पाईप जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराना, सरकार के 7 निश्चयों में से है। तदनुसार इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शहरी क्षेत्र के लिए

कार्य योजना तैयार की जाय। जो योजनाएं कार्यान्वित हैं, उन्हें गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए शीघ्र पूर्ण किया जाय।

- सामान्य परिस्थिति में भविष्य में ली जाने वाली योजनाओं में जलमीनार आधारित पेय जलापूर्ति योजना के स्थान पर समीक्षा कर Direct Supply आधारित योजनाएं लेने पर विचार किया जाय। छोटे-छोटे Zones का गठन किया जा सकता है।
- शहरी स्थानीय निकायों/बिहार राज्य जल पर्षद की क्षमता में वृद्धि की जाय ताकि पेय जलापूर्ति योजनाओं का उचित संधारण सुनिश्चित हो सके।
- शहरी स्थानीय निकाय, सतत संधारण के दृष्टिकोण से निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप उपभोक्ता शुल्क वसूल करने की कार्रवाई करें।
- इस महत्वपूर्ण कार्य हेतु राशि की बड़ी आवश्यकता के मद्देनजर विभिन्न स्रोतों से निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किया जाय।
- नगर निकायों के सरकार के 7 निश्चय की प्राथमिकता के अनुरूप योजना चयनित करने के लिए उचित मार्गदर्शन दिया जाए।
- शहरी स्थानीय निकायों की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने हेतु एक प्रोत्साहन योजना बनायी जाय, जिसमें सरकार के 7 निश्चय की प्राथमिकता के अनुरूप योजना लेने के लिए शहरी स्थानीय निकाय को प्रोत्साहित किया जाए। इसमें अंतर वार्ड महत्व की योजनाओं में राज्य सरकार का प्रोत्साहन एक वार्ड तक सीमित योजनाओं की तुलना में अधिक रखी जाय।
- बिहार राज्य जल पर्षद का ढाँचा, क्षेत्र स्तर तक विस्तारित किया जाय ताकि जलापूर्ति से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन एवं संधारण, नगर निकायों से समन्वय करके प्रभावी तरीके से किया जा सके।
- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बनायी गयी जलापूर्ति योजनाओं के उचित संधारण विभाग से ही करने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाय।
- स्वच्छता अनुदान घटक का कड़ा अनुश्रवण किया जाय ताकि सभी शहरों में डोर-टू-डोर कचरा उठाव हो सके। कचरे के भंडारण हेतु भूमि की व्यवस्था हो सके तथा कचरे की प्रोसेसिंग की व्यवस्था हो सके।
- पट्टना में बस स्टैण्ड का निर्माण शीघ्र आरंभ किया जाना चाहिए। इस हेतु HUDCO से ऋण के मामले में राज्य सरकार की गारंटी संबंधी विषय पर वित्त विभाग से शीघ्र समन्वय किया जाय। HUDCO से भिन्न, यदि कोई अन्य संरक्षा कम दर पर ऋण देती हो तो उसकी भी संभावना तलाशी जाय।

14. जल निसरण :-

- इस बात पर चिन्ता व्यक्त की गयी कि विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा बनाये जाने वाले ड्रेनेज का प्रभावी उपयोग नहीं हो पाता है। अतः समस्या को दूर करने के लिए शहरों का ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया जाय और उसी के तहत सभी कार्यान्वयन एजेंसी, योजनाओं का चयन एवं कार्यान्वयन करें।

15. स्ट्रीट लाईट :-

- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्ट्रीट लाईट को बढ़ावा दिया जाय एवं संधारण की प्रभावी व्यवस्था की जाय। चरणबद्ध तरीके से प्रधान मुख्य सड़कों एवं मुख्य सड़कों को पहले आच्छादित किया जाय। पथ निर्माण विभाग एवं अन्य विभाग, जिनके द्वारा पथों का निर्माण शहरी क्षेत्रों में किया जाता है, वे आवश्यकतानुसार स्ट्रीट लाईट का प्रावधान करें। इस पर संबंधित विभागों से समन्वय किया जाय।

16. पार्क एवं हरियाली विस्तार :-

- नगर क्षेत्र में पड़ने वाले पार्कों के संधारण हेतु पर्यावरण एवं वन विभाग को सौंपने की कार्रवाई की जाय एवं राशि का प्रावधान किया जाय। इसके लिए आवश्यकतानुसार निदेश निर्गत किये जाए।
- अन्य शहरों में पार्कों के संधारण हेतु पार्क विकास एवं संधारण नीति बनाकर परिचालित की जाय।
- पार्क / हरियाली क्षेत्र के विस्तार हेतु प्रभावी कदम उठाया जाय।।

17. सुशासन के कार्यक्रम 2015–2020 :-

- (i) बिहार के प्रत्येक शहर में मुहल्लों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक घर पक्की सड़क से जुड़े, इसके लिए सभी मुहल्लों में गलियों एवं नालियों का निर्माण किया जाएगा।
- (ii) राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।
- (iii) सभी शहरी घरों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छता सहायता अनुदान कार्यक्रम लागू किया जाएगा। सभी शहरों में कचड़ा प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था लागू की जाएगी।
- (iv) सभी नगरों में पार्क एवं जन-सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा।

➤ प्रशाखा—03 :—

1. केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य को मिलने वाले संसाधन समय पर मिले, इसके लिए यथोचित कदम उठाना।
2. JnNURM के सभी घटकों में लिए गए कार्यों की मासिक समीक्षा करते हुए पूर्णता सुनिश्चित कराना :—

JnNURM के अंतर्गत बुड़को द्वारा कार्यान्वित हो रहे योजनाओं में भारत सरकार से पूर्ण राशि प्राप्त नहीं हुई है। इस हेतु भारत सरकार को पत्र भेजा जाय।

3. JnNURM की सभी घटकों की पुस्तिका तैयार करना :—

JnNURM की मात्र 04 योजनाओं में ही भारत सरकार द्वारा AMRUT के अंतर्गत निधि दी जा रही है, जबकि इससे अधिक योजनाओं को निधि मिलना चाहिए। इस हेतु प्रस्ताव शीघ्र भेजने का निर्देश दिया गया।

4. शहरी परिवहन :—

- उत्तर बिहार एवं पश्चिम बिहार के क्षेत्रों से आने-जाने वाली बसों के लिए हाउसिंग बोर्ड, दीघा कॉलोनी में भी एक बस स्टैण्ड विकसित करने पर विचार किया जाय।
- नगर निगम शहरों का City Mobility Plan तैयार किया जाये।
- शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले पथांसों के लिए Urban Road Policy तैयार करके संबंधित विभागों से विचार-विमर्श किया जाय।

5. सबके लिए शौचालय :—

- हर घर में शौचालय की सुविधा भी सरकार के 7 निश्चयों में से है। तदनुसार इसके निर्धारित अवधि में प्राप्ति हेतु ठोस कार्य योजना बनाई जाए। कार्यान्वयन में खुलापन, पारदर्शिता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित हो।
- शहरी क्षेत्र के वैसे परिवार जो वर्तमान सूची में छूटे हुए है उनको सम्मिलित करने की कार्रवाई की जाए।
- सामुदायिक शौचालयों का रखरखाव एक चुनौती होता है। इसे ध्यान में रखते हुए यथासंभव सामुदायिक शौचालयों की स्थापना तभी की जाए जब इसके संधारण की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो।
- वैसे घर, जहाँ शौचालय बनाने के लिए जगह उपलब्ध नहीं हो, उनके लिए नजदीक में समूह में शौचालय निर्माण कर, पारिवारिक आधार पर शौचालय आवंटित किया जाय।

- सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव में खुलापन एवं पारदर्शिता बरतते हुए, शहरी स्थानीय निकाय स्वयंसेवी संस्थाओं को संबद्ध करती है। इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शौचालयों का संधारण उचित तरीके से हो रहा है। सुलभ इंटरनेशनल जैसी ख्याति प्राप्त संस्थाओं को Nomination के आधार पर सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण एवं रखरखाव कार्य देने के बिन्दु पर गहन विचार-विमर्श करके प्रस्ताव गठित किया जाय।
- वैसी आबादी, जो अनाधिकृत रूप से बाँध आदि पर रहे हों, उनके लिए भी जमीन उपलब्ध कराते हुए, मल्टीस्टोरी भवन का निर्माण करने की संभावना तलाशी जाय ताकि उनके लिए आवास एवं शौचालय की व्यवस्था एकसाथ हो सके।

6. सिवरेज की व्यवस्था :-

- भारत सरकार के स्तर पर लबित मुद्दों के त्वरित निष्पादन के लिए प्रभावी समन्वय एवं पत्राचार सुनिश्चित किया जाय।
- कार्यान्वित योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लायी जाय। और उन्हें पूर्ण कराया जाए।
- नमामि गंगे योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक योजनाएं प्रेषित करके स्वीकृति प्राप्त की जाय।
- गंगा नदी के किनारे अवस्थित वे प्रमुख शहर, जिनके वित्त पोषण की व्यवस्था नहीं हो पायी है, वहाँ आवश्यकतानुसार राज्य योजना से सिवरेज के कार्य लिये जाएं यथा मोकामा, बाढ़, बस्तियारपुर, फतुहा, बड़हिया, लखीसराय, बिहारशरीफ आदि। साथ ही भारत सरकार से भी लगातार मांग की जाती रहे।
- गंगा की सहायक नदियों पर अवस्थित शहरों पर भी STP एवं सिवरेज नेटवर्किंग के कार्य को समावेशित करने के बिन्दु पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।
- पटना शहर की सिवरेज परियोजना का गुणवत्तापूर्ण ससमय कार्यान्वयन हो, इसके लिए अत्यधिक विशेष अनुश्रवण की व्यवस्था की जाय।

7. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन :-

- पटना में कार्यान्वित हो रहे Waste to Energy प्रोजेक्ट का सघन अनुश्रवण करके तेजी से कार्यान्वयन कराया जाय। छोटे शहरों में Waste to Compost पर विचार किया जाए।

8. सुशासन के कार्यक्रम 2015–2020 :-

- (i) चरणबद्ध तरीके से सभी शहरों में सीवरेज एवं ड्रेनेज की योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाएगा।

(ii) राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

(iii) स्ट्रीट वेण्डरों की आजीविका की सुरक्षा हेतु शहरों में सुव्यवस्थित वेण्डिंग जोन स्थापित किए जाएंगे।

9. SBM में राज्यांश का प्रावधान।

► प्रशाखा-04 :-

1. सबके लिए आवास (शहरी) :-

- शहरी क्षेत्रों के आवास विहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए बहुमंजिले मकान बनाना उचित विकल्प है। तदनुसार भूमि की उपलब्धता के बिन्दु पर नीति/दिशानिर्देश बनाने के लिए मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक आयोजित करके, प्रस्ताव गठित किया जाय।
- Affordable Housing Policy, Rental Housing Policy and Model Tenancy Act पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।
- आरक्षण नीति में संशोधन, e-auction, Online Property Management एवं EPC Mode पर अधिक से अधिक फ्लैट बनाने का प्रयास किया जाय।
- NULM से संबंधित कार्य :-
शहरी क्षेत्रों के सभी गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह के नेटवर्क में चरणबद्ध तरीके से समयसीमा के अंतर्गत आछादित किया जाय। गरीब महिलाओं के समूहों को Area Level Organization एवं City Level Federation के रूप में संगठित कराया जाय।

2. आवास योजना का MIS लागू करना।

3. SECC.

4. AWAS Soft.

► प्रशाखा-05 :-

1. नगर निकायों में समय पर बजट तैयार करना।

2. नगर निकायों के स्वीकृत रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु कार्रवाई करना:-

सभी नगर निकायों से स्वीकृत रिक्त पद, रोस्टर के साथ, सूची प्राप्त करने हेतु पत्र मासिक समीक्षा बैठक के 5 दिन पूर्व भेजा जाय और उनसे अनुरोध किया जाय कि बैठक के दिन सूची लेकर उपस्थित हों ताकि समेकित अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी जा सके।

3. नगर निकायों के संसाधनों में वृद्धि हेतु कड़ा अनुश्रवण करना :-

इसके अनुश्रवण हेतु SPUR के सहयोग से एक सेल गठित की जाय ताकि नगर निकायों के संसाधनों में वृद्धि सुनिश्चित हो सके।

4. नगर निकायों में कार्यरत कर्मियों हेतु कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी तरीके से लागू करना यथा स्वास्थ्य बीमा, दैनिक कर्मियों के लिए यूनिफार्म आदि सभी पहलुओं पर कार्रवाई करना।

5. नगर निकायों के होलिडंग टैक्स को पूरे राज्य में प्रभावी तरीके से लागू करना।

6. नगर निकायों का GIS Based Survey एवं Property Tax Survey के कार्य को कड़ा अनुश्रवण करके समय पर पूर्ण करना।

7. नगर निकायों के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए सभी घटकों यथा मोबाइल टावर, ट्रेड लाईसेंस आदि सभी पर अलग-अलग संचिका खोलकर मार्गनिर्देश जारी करना एवं अनुश्रवण करना।

8. प्रशाखा-5, नगरपालिका प्रशासन, निदेशालय के रूप में तदर्थ रूप से कार्य करें, इसकी व्यवस्था करना।

9. नगर निकायों में कर्मियों की व्यवस्था :-

(i) नगर निकायों के वर्ग 'ग' के स्वीकृत रिक्त पदों पर नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। तदनुसार सभी नगर निकाय, नगर विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से समेकित अधियाचना भेजेगी।

(ii) शहरी स्थानीय निकायों में वर्ग 'ग' के विभिन्न कोटि के स्वीकृत रिक्त पदों पर नगर निकाय खुली एवं पारदर्शी व्यवस्था अपनाकर, आरक्षण नियमों का पालन करते हुए संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मियों की नियुक्ति, राज्य सरकार की सामान्य नीतियों के तहत कर सकेंगे।

(iii) जिन नगर निकायों में स्वीकृत पद पर्याप्त नहीं हैं, उन नगर निकायों में अतिरिक्त पद विभाग द्वारा सृजित किये जायेंगे।

(iv) पटना नगर निगम का पुर्नसंरचना।

10. सभी प्रकार के प्रमाण-पत्र अब से आगे नगर निकाय कार्यालयों द्वारा जारी किये जाएंगे।

11. Land asset register & encroachment removal.

12. नगर निकाय कर्मियों की स्थानांतरण नीति।

13. मर्स्टर रॉल पर सफाई कर्मियों की व्यवस्था।

14. नगर निकायों का गठन/पुनर्गठन :-

- नगर निकाय चुनाव के मददेनजर शहरीकरण के दृष्टिकोण से उचित हो वैसे नये नगर पंचायतों का गठन का प्रस्ताव लाया जाए।
- बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में सशोधन प्रस्तावित किया जाय ताकि सभी गठित नगर निकायों के चुनाव एकसाथ होने की व्यवस्था का प्रावधान हो सके।

15. नगरीय प्रशासन :-

- “मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय प्रोत्साहन योजना” शहरी स्थानीय निकायों में स्वस्थ प्रतियोगिता पैदा करेगी। इसे तत्काल लार्गू किया जाय।
- शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार की अत्यधिक संभावना है। तदनुसार कमीशन आधारित मानव बल की व्यवस्था की जा सकती है। Online Tax Collection को प्रभावी बनाया जाय। सभी प्रकार के Fee/कर की प्रभावकारी वसूली सुनिश्चित की जाय।
- को नगर निकायों के ‘लोक वित्त’ प्रबंधन व्यवस्था को प्रभावकारी बनाने हेतु किये जा रहे प्रयासों यथा Double Entry Accounting System (DEAS), Online Tax Collection, E-Tendering, e-auction, Internal Audit आदि सभी कार्यों को सभी नगर निकायों में बढ़ावा दिया जाय।
- शहरी स्थानीय निकायों में मानव बल की कमी के लिए नियमित नियुक्ति की जाय। संविदा/एच०आर० एजेंसी आधारित नियुक्ति की बजाए सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवा, तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए लेने हेतु नीति बनायी जाय।
- शहरी स्थानीय निकायों के मानव बल की आवश्यकता का पुनर्गठन कराया जाय।
- पटना नगर निगम का पुनर्गठन, वर्तमान दायित्व के मददेनजर किया जाय।
- विकास कार्यों को गति देने के लिए “शहरी अभियंत्रण संगठन” स्थापित किया जाय। इसके लिए BUIDCO एवं जल परिषद के पुनर्गठन पर विचार किया जाए।
- Development Management Institute, जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित की गयी संस्था है, उससे समन्वय करके, शहरी प्रशासन के मुद्दों पर कार्रवाई की जाय।
- अतिक्रमण हटाने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया जाय।

16. सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 :-

- (i) शहरी प्रशासनिक व्यवस्था को संवेदनशील, जनोन्मुखी, जिम्मेदार एवं पारदर्शी बनाने के दृष्टिकोण से शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त एवं आर्थिक रूप से स्वाबलंबी बनाने के प्रयास को गति प्रदान की जाएगी।

► प्रशाखा-6 :-

- विधानमंडलीय मामलों में कड़ा अनुश्रवण करके, प्रतिदिन के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित कराना।

► प्रशाखा-07 :-

- लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी०सी० विपत्रों का प्रभावी निष्पादन। सुनिश्चित करना कि इस माह एक हजार करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित हो जाय एवं 42.00 करोड़ रुपये का डी०सी० विपत्र समर्पित हो जाय।
- नगर निकायों के लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- 14वें वित्त आयोग की Performance Grant की पात्रता हेतु नगर निकायों की चार्टर्ड एकाउंटेंट के द्वारा अंकेक्षण की व्यवस्था SPUR के माध्यम से कराना।
- वित्त विभाग में गठित निदेशालय “स्थानीय निधि लेखा” से समन्वय कर नगर निकायों का सामयिक अंकेक्षण सुनिश्चित करना।
- DEAS को Roll Out करना।
- DLFA से नगर निकायों का अंकेक्षण।

► प्रशाखा-8 :-

- लंबित CWJC/MJC का प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप प्रभावी निष्पादन जारी रखना।
- यह सुनिश्चित करना कि लंबित CWJC की संख्या 50 के अंदर पहुँचे एवं लंबित MJC की संख्या 05 के अंदर पहुँचें।

► प्रशाखा-9 :-

- RTI के मामलों पर सामयिक निष्पादन करके, प्रभारी पदाधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा एवं प्रधान सचिव के अवलोकन हेतु मासिक प्रतिवेदन तैयार करना।
- State Quality Monitoring Cell चालू करना।

➤ **प्रशाखा-10 :-**

1. बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड द्वारा प्रस्तावित योजनाओं का सम्मय मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करना।
 2. भागलपुर, समस्तीपुर, आरा की परियोजनाओं को आगे बढ़ाना।
 3. Property का Computerised डाटाबेस तैयार करना।
 4. संसाधनों में वृद्धि करना।
 5. दीघा पुनर्वास योजना को लागू करना।
 6. नागरिक सुविधा को प्रभावी बनाना।
- बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा अपनी सम्पत्तियों का प्रभावी प्रबंधन किया जाय। लीज होल्ड से फ्री-होल्ड करने संबंधी सरकार के निर्णय को शीघ्र कार्यरूप दिया जाय। इसके लिए मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक कर आवश्यक अंतर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित किया जाय।
 - बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा जो आवास बनाये जा रहे हैं, उन्हें माननीय MLA/MLC के लिए आवंटन करने पर विचार किया जाय।
 - बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा बनाये गये मकानों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने हेतु अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। दीघा में स्थित आवास बोर्ड की जमीन पर चहारदीवारी का निर्माण कराया जाय।

➤ **प्रशाखा-11 :-**

1. शहरों का सुनियोजित विकास :-

- मुख्यमंत्री नगर विकास योजना को शहरीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए Re-design किया जाय एवं इसे सरकार के 7 निश्चय के अंतर्गत ली जाने वाली योजनाओं में प्राथमिकता दी जाय।
- सुनियोजित शहरीकरण हेतु Regulatory Frame Work बनाया जाय। मुख्य सचिव इसे अपने स्तर पर देखेंगे।
- नक्सा पारित करने के काम में तेजी लायी जाय। इसमें किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं हो। जनसाधारण को काई कठिनाई नहीं हो, ऐसी व्यवस्था की जाय। इस हेतु विभाग द्वारा विकसित की जा रही ऑनलाईन नक्सा प्रबंधन व्यवस्था को शीघ्र लागू किया जाय।
- “पटना मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑथोरिटी” को शीघ्र कार्यरत किया जाय।

- पटना मास्टर प्लान, 2031 को विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए उपरथापित किया जाय।
- 15 प्रमुख शहरों का "आयोजना क्षेत्र" घोषणा, आयोजना प्राधिकार का गठन एवं मास्टर प्लान की कार्य प्राथमिकता पर पूर्ण किया जाय।
- शहरों के आस-पास नई टाउनशिप विकसित हो, ऐसा प्रयास किया जाय।
- "नया पाटलिपुत्र" बसाने हेतु अग्रेत्तर योजना बनायी जाय।
- TCPO में सेवानिवृत्त कर्मियों की संभावित उपलब्धता नहीं होने के मद्देनजर खुले बाजार से योग्य एवं अनुभवी Professionals लिए जा सकते हैं।
- पटना राजधानी क्षेत्र में सभी विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों के मद्देनजर अंतर्विभागीय समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "Patna Capital Region Management Committee" गठित की जाय।
- पटना मेट्रो रेल परियोजना हेतु विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त की जाय। अग्रेत्तर कार्रवाई के लिए भारत सरकार को भेजा जाय।

2. सुशासन के कार्यक्रम 2015–2020 :-

- (i) शहरों के सुव्यवस्थित विकास के उद्देश्य से सभी जिला-मुख्यालय शहरों का दीर्घकालीन मास्टर प्लान तैयार कर लागू किया जाएगा।

3. पटना नगर निगम एवं सभी शहरी क्षेत्रों में नक्सा पास होने की व्यवस्था चालू करना :-

पटना नगर निगम के माध्यम से एक विज्ञापन जारी कराया जाय, जिसमें जनसाधारण को यह जानकारी दी जाय कि नक्सा पारित होना प्रारंभ हो गया है। विज्ञापन में नक्सा पारित कराने से संबंधित दस्तावेज एवं प्रक्रिया के संबंध में भी जानकारी रहेगी।

भवन उपविधि के मुख्य प्रावधानों का एक विज्ञापन TCPO से तैयार करायी जाय, जिसमें यह जानकारी रहेगी कि शहरी क्षेत्रों में जो भी भवन बनेंगे, वह नक्सा पारित कराकर ही बनेंगे और उसके नियम एवं प्रक्रिया ये हैं।

4. नक्सा ऑनलाईन स्वीकृत होने की व्यवस्था करना।
5. भवन उपविधि के प्रबंधन में लगे हुए अभियंताओं को प्रशिक्षित करना।
6. टाउन प्लानिंग स्कीम लागू करना।
7. पटना मास्टर प्लान लागू करना।
8. भारत सरकार से प्राप्त महत्वपूर्ण मामले पर जबाब देना।

9. राज्य में CEPT का क्षेत्रीय संस्थान स्थापित करने हेतु प्रस्ताव गठित करना।
10. भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित Technology Development Centre की स्थापना का प्रस्ताव भेजना।
11. भवन उपविधि के प्रावधान लागू हो, इस हेतु राज्य स्तर से निरीक्षण की व्यवस्था करना एवं कार्रवाई सुनिश्चित करना।
12. TCPO कार्यालय का सुदृढ़ीकरण।
13. स्वीकृते रिक्ते पदों पर नियमित नियुक्ति एवं अंतरिम व्यवस्था के तौर पर संविदा आधारित नियुक्ति।
14. नगर निगम एवं बड़े नगर परिषदों के शहरी आयोजना कर्मियों की व्यवस्था।
15. पटना मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी का चुनाव।
16. पटना मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑथोरिटी को कार्यरूप देना।

17. संवेदकों का पंजीकरण एवं आरक्षण नियमों का पालन :-

- (i) सरकार के विभिन्न कार्य विभागों में संवेदकों का पंजीकरण होता है। उसी प्रकार नगर निकायों में पंजीकरण की व्यवस्था की जाएगी।
- (ii) 15.00 लाख रुपये के कार्यों पर आरक्षण की व्यवस्था।
- (iii) 15.00 लाख रुपये तक विभागीय कार्य कराने का प्रावधान।

18. Agencies regarding Waste Processing :-

इस संबंध में एक कार्यशाला आयोजित करने हेतु प्रस्ताव संचिका में उपस्थापित किया जाय। नगर निकायों को इस हेतु परामर्श देने की व्यवस्था की जाय। मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग को शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

➤ अभियंत्रण कोषांग से संबंधित कार्य :-

1. राज्य में शक्तियों का विकेन्द्रीकरण एवं ई० टेपडरिंग के संबंध में प्रशिक्षण।
2. पटना शहर में मेट्रो रेल परियोजना को गति दी जाएगी।

3. मानक प्राक्कलन पुस्तिका का गठन, प्रशिक्षण एवं प्रसार :-

मानक प्राक्कलन पुस्तिका को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाय। मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग इसे सुनिश्चित करेंगे।

4. नगर विकास एवं आवास विभाग में पदस्थापित अभियंताओं पर कड़ा प्रशासनिक नियंत्रण।

5. टेण्डरिंग से संबंधित शिकायत :—

टेण्डरिंग से संबंधित शिकायत की जाँच हेतु अन्य कार्य विभागों से जानकारी प्राप्त कर, शिकायत के निराकरण की व्यवस्था की जाय।

➤ AMRUT Mission से संबंधित कार्य :—

1. AMRUT योजना के अंतर्गत जो योजनाएं ली जा रही हैं एवं SAAP में जो योजनाएं शामिल हैं, उसका डी०पी०आर० बनाकर, सक्षम स्तर पर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जाय।
2. AMRUT मिशन, HFA एवं TCPO में कुछ प्रोफेशनल कर्मी को नियुक्त करना है। इस हेतु संविदा आधारित नियुक्ति के लिए "SAMVIDA" सॉफ्टवेयर विकसित कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय। आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग इसे सुनिश्चित करेंगे।
3. PMU का गठन।
4. समय पर राशि का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाना।

➤ SPMG कोषांग से संबंधित कार्य :—

1. NGRBA के अंतर्गत खीकृत कार्यरत योजनाओं को गति देना।
2. नमामि गंगे अंतर्गत डी०पी०आर० प्रेषित करना।
3. कंसल्टेंट के साथ नियमित समीक्षा करना।
4. NMCG के साथ प्रतिदिन समन्वय सुनिश्चित करना।
5. डी०पी०आर० पर कार्रवाई।

➤ BUIDCo से संबंधित कार्य :—

1. योजनाओं के कार्यान्वयन को गति देना।
2. योजनाओं का MIS गठित करके, सभी योजनाओं का Realtime सूचना उपलब्ध कराना।
3. गुणवत्ता व्यवस्था।
4. समयबद्धता।

5. नगर निकायों द्वारा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का निर्माण किया जाएगा।
6. सभी बसों का परिचालन दिनांक इस माह में अनिवार्य रूप से प्रारंभ कर दिया जाय।

► ५. बिहार राज्य जल पर्षद से संबंधित कार्य :-

1. योजनाओं के कार्यान्वयन को गति देना।
2. योजनाओं का MIS गठित करके, सभी योजनाओं की Real time सूचना उपलब्ध कराना।
3. गुणवत्ता व्यवस्था।
4. समयबद्धता।

निर्देश दिया गया कि अब से आगे ऑनलाईन रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाय।

Chw २०-२-१६
(अमृत लाल मीणा),

प्रधान सचिव

दोषपान पर वार्ता का नियमित विवरण
ज्ञापांक 959 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 11/2/16

प्रतिलिपि :— सभी विभागीय पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/Team Leader, SPUR/SPMG कोषांग/अभियंत्रण कोषांग/TCPO/सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Chw २०-२-१६
प्रधान सचिव

